न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 670 / 2024

अनवान : –

1. माया पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स0 6 / 36 के प0न0 224 / 391(2) के किला न0 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.0253 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट प0न0 224 / 392(7) के किला न0 7 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.0253 हैक्ट, 7 / 1 की 0.0253 हैक्ट, 8 की 0.0253 हैक्ट कुल 1.9740 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र रामकुमार ने वादीया माया पत्नी रामेश्वर को जरिये बैयनामा 1.0120 हैक्ट भूमि बैय कर दी थी मुताबिक बैयनामा दिनांक 13.06.2024 को उप पंजीयक नोहर से बैयनामा तस्दीक करवाया गया था। वादग्रस्त भूमि चक 3 केएम तहसील नोहर के खाता स0 रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स0 6 / 36 के प0न0 224 / 391(2) के किला न0 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.0253 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट प0न0 224 / 392(7) के किला न0 7 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.0253 हैक्ट, 7 / 1 की 0.0253 हैक्ट, 8 की 0.0253 हैक्ट कुल 1.9740 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा वादीया को चक 3 केएम तहसील 6 / 36 के प0न0 224 / 392(7) के किला न0 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.050 हैक्ट पश्चिमी पासा, 7 / 1 की 0.2030 हैक्ट, 8 की 0.253 कुल 1.0120 हैक्ट भूमि वादीया माया पत्नी रामेश्वर ने उप पंजीयक नोहर मं बैयनामा तस्दीक करवाया था तथा मौका पर कब्जा खरीददार को सौंप दिया था।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के बैयनामा के मुताबिक वाद भूमि को उनके नाम राजस्व [illegible] कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार [illegible] पेश किया गया है।

वाद पेश हो[illegible] किया जाकर प्रतिवादी[illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्र[illegible]वादी सं0 1 ने जरिये [illegible]क्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति रजि० बैयनामा दिनांक 13.06.2024 दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 3 केएम तहसील नोहर के खाता स० रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स० 6/36 के प०न० 224/391(2) के किला न० 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.0253 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट प०न० 224/392(7) के किला न० 7 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.0253 हैक्ट, 7/1 की 0.0253 हैक्ट, 8 की 0.0253 हैक्ट कुल 1.9740 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा वादीया को चक 3 केएम तहसील 6/36 के प०न० 224/392(7) के किला न० 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.050 हैक्ट पश्चिमी पासा, 7/1 की 0.2030 हैक्ट, 8 की 0.253 कुल 1.0120 हैक्ट भूमि वादीया माया पत्नी रामेश्वर ने उप पंजीयक नोहर मं बैयनामा तस्दीक करवाया था तथा मौका पर कब्जा खरीददार को सौंप दिया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स० 6/36 की कुल 1.9740 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त चक 3 केएम तहसील 6/36 के प०न० 224/392(7) के किला न० 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.050 हैक्ट पश्चिमी पासा, 7/1 की 0.2030 हैक्ट, 8 की 0.253 कुल 1.0120 हैक्ट भूमि वादीया ने प्रतिवादी स० 1 से खरीद की है। प्रतिवादी स० 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएम तहसील 6/36 के प०न० 224/392(7) के किला न० 3 की 0.253

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.050 हैक्ट पश्चिमी पासा, 7/1 की 0.2030 हैक्ट, 8 की 0.253 कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की कम की जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादीया का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 670 / 2024

अनवान : –

1. माया पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 670 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएम तहसील 6 / 36 के प0न0 224 / 392(7) के किला न0 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.050 हैक्ट पश्चिमी पासा, 7 / 1 की 0.2030 हैक्ट, 8 की 0.253 कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की कम की जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादीया का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:39:06 IST
Reason: SelfAttested